भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2383

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन

2383. **श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी सब्सिडी संवितरित की गई है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एनबीएस के अंतर्गत खरीफ और रबी ऋतुओं के लिए अधिसूचित पोषक तत्व-वार और उर्वरक-वार सब्सिडी की दरें क्या हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत उर्वरक निर्माताओं और आयातकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान खुले बाजार में डीएपी और अन्य प्रमुख पी एंड के उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी उर्वरक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) सरकार द्वारा किसानों के लिए उर्वरकों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस के अंतर्गत शामिल किए गए उर्वरकों के बाजार मूल्यों की निगरानी और विनियमन के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है; और
(च) क्या सरकार द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने में उक्त योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई संपरीक्षा या आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले पांच वर्षों अर्थात 2020-21 से 2024-25 के दौरान पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत किए गए कुल व्यय का विवरण **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान खरीफ और रबी मौसम के लिए एनबीएस के तहत अधिसूचित सब्सिडी की दरें, पोषक तत्व-वार और उर्वरक-वार **अनुलग्नक – II** में दी गई हैं।

(ग): पहले से पंजीकृत निर्माताओ और आयातकों की संख्या के अतिरिक्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक एनबीएस स्कीम के तहत पंजीकृत उर्वरक निर्माताओं और आयातकों की संख्या, **अनुलग्नक - III** में दी गई है।

(घ): वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रमुख उर्वरकों के औसत एमआरपी का उत्पाद-वार विवरण (उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) **अनुलग्नक - IV** में दिया गया है।

(ङ): फॉस्फेट और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पी एंड के उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और कंपनियों को व्यापार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी तय करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सरकार ने पी एंड के उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित एमआरपी की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 15.11.2019 और 18.01.2024 को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि किसानों को किफायती दामों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। दिशानिर्देशों के अनुसार, पी एंड के उर्वरक कंपनियों द्वारा निश्चित लाभ (मार्जिन) से अधिक अर्जित किया गया कोई भी लाभ वसूल कर लिया जाता है।

(च): वर्ष 2020 में एनबीएस नीति के प्रभाव पर मेसर्स सैंटेक द्वारा एक तृतीय पक्ष अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि फॉस्फेट और पोटाश युक्त (पी एंड के) उर्वरकों के उपयोग से कृषि भूमि की उत्पादकता में सुधार हुआ है और मिट्टी की बहु-पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद मिली है। एनपीके उर्वरकों की खपत 2010-11 में 281.22 एलएमटी थी जो 2019-20 में बढ़कर 290.39 एलएमटी हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, एनबीएस स्कीम की शुरुआत के बाद से प्रमुख फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

****

अनुलग्नक- I

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2383 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात 2020-21 से 2024-25 के दौरान पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित वर्ष	कुल
2020-21	**37303.73**
2021-22	**52726.26**
2022-23	**86122.23**
2023-24	**65199.57**
2024-25	**52810.00**
कुल योग	**294161.79**

अनुलग्नक -II

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2383 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

(i) पोषक तत्व-वार एनबीएस सब्सिडी दरें (रु. / कि.ग्रा. में)

पोषक	**2020-21**	**2021-22**	**2022 (खरीफ)**	**2022 (रबी) 01.1022 से 31.12.22**	**2022 (रबी) 01.01.23 से 31.03.23**	**2023 (खरीफ)**	**2023-24 (रबी)**	**2024-25 खरीफ**	**2024-25 रबी**	**2025 खरीफ**	**2025-26 रबी**
एन' (नाइट्रोजन)	18.789	18.789	91.96	98.02	99.27	76.49	47.02	47.02	43.02	43.02	43.02
पी' (फॉस्फेट)	14.888	45.323	72.74	66.93	49.94	41.03	20.82	28.72	30.80	43.60	47.96
के' (पोटाश)	10.116	10.116	25.31	23.65	25.70	15.91	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
एस (सल्फर)	2.374	2.374	6.94	6.12	2.84	2.80	1.89	1.89	1.76	2.61	2.87

(ii) उर्वरक-वार एनबीएस सब्सिडी दरें (रु. एमटी में)।

क्र.सं	उर्वरक ग्रेड (एन पी के एस पोषक तत्व)	**2020-21**	**2021-22**	**2022 (खरीफ)**	**2022 (रबी)**	**2022 (रबी) 01.01.23 से 31.03.23**	**2023 (खरीफ)**	**2023-24 (रबी)**	**2024 (खरीफ)**	**2024-25 रबी**	**2025 खरीफ**	**2025-26 रबी**
1.	डीएपी (18-46-0-0)	10231	33000	50013	48433	40841	32641	22541	21676	21911	27799	29805
2.	एमएपी (11-52-0-0)	9809	25635	47940	45588	36889	29748	15999	20108	20748	27404	29671
3.	टीएसपी (0-46-0-0)	6848	20849	33460	30789	22972	18872	9578	13212	14168	20056	22062

4.	एमओपी (0-0-60-0)	6070	6070	15186	14188	15420	9547	1427	1427	1427	1386	1386
5.	एसएसपी (0-16-0-11)	2643	7513	7513	7513	7513	6872	3540	4804	5121	7263	7408
6.	16-20-0-13	6292	12379	30164	29866	26240	20808	11933	13514	13272	15942	16848
7.	20-20-0-13	7044	15131	33842	33787	30211	23868	13814	15395	14993	17663	18569
8.	20-20-0-0	6735	12822	32940	32991	29842	23504	13568	15148	14764	17324	18196
9.	28-28-0-0	9430	17951	46116	46188	41779	32906	18995	21208	20670	24253	25474
10.	10-26-26-0	8380	18293	34689	33353	29593	22453	10734	12788	12928	16257	17390
11.	12-32-16-0	8637	20377	38362	36965	32005	24854	12686	15214	15399	19495	20890
12.	14-28-14-0	8215	16737	36785	35775	31479	24424	12746	14958	14980	18564	19785
13.	14-35-14-0	9258	19910	41877	40460	34975	27296	14203	16969	17136	21616	23142
14.	15-15-15-0	6569	11134	28502	28290	26237	20015	10533	11718	11430	13350	14004
15.	17-17-17-0	7445	12619	32302	32063	29735	22683	11937	13281	12954	15130	15871
16.	19-19-19-0	8321	14103	36102	35835	33233	25352	13342	14843	14478	16910	17738
17.	अमोनियम सल्फेट (20.5-0-0-23)	4398	4398	20448	21503	31004	16325	10074	10075	9224	9419	9479
18.	16-16-16-0(दि. 1.7.2010 से)	7007	11876	30402	30177	27986	21349	11235	12499	12192	14240	14938
19.	15-15-15-9 (1.10.2010 से प्रभावी)	6783	11348	29126	28841	26492	20267	10703	11889	11588	13585	14262
20.	24-24-0-0 (1.10.10 से 29.5.12 तक और 22.6.2012 से प्रभावी)	8082	15387	39528	39590	35810	28205	16282	18178	17717	20789	21835
21.	24-24-0-8 (12.11.13 से 14.2.15 तक) एस पर सब्सिडी के बिना	8002	15387	39528	39590	35810	28429	16433	18178	17717	20789	21835
22.	14-28-0-0 (1.4.2020 से प्रभावी)	6799	15321	33242	32464	27881	22197	12413	14625	14647	18321	19452
23.	8-21-21 (20.05.2021 से प्रभावी)	लागू नहीं	13145	27947	26864	23826	18077	8634	10293	10409	13097	14013

24.	9-24-24 (20.05.2021 से प्रभावी)	लागू नहीं	14996	31808	30561	27088	20550	9800	11696	11835	14907	15953
25.	पीडीएम (0-0-14.5-0)	लागू नहीं	1467	1467	1467	1467	2307	345	345	345	345	345
26.	11-30-14 (01.04.2024 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14122	14305	18145	19453
27.	यूरिया-एसएसपी कॉम्प्लेक्स (5-15-0-10) (01.04.2024 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6849	6947	8952	9088
28.	एसएसपी 16-0-11 (Mg,Zn और B से पौष्टिकीकृत) (01.04.2024 से प्रभावी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4804	5121	7263	7408

अनुलग्नक-।।।

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2383 के उत्तर के भाग (ग) से संबंधित है।

एनबीएस स्कीम के तहत वर्ष **2020-21** से **2024-25** के दौरान उत्पादक/आयातक के रूप में पंजीकृत कंपनियों की संख्या:

कंपनी का वर्गीकरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
पी एंड के उत्पादक	0	1	2	5	6
पी एंड के आयातक	0	3	3	1	10

अनुलग्नक- **IV**

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2383 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

प्रमुख पी एंड के उर्वरकों जैसे डीएपी, एमओपी, एसएसपी, एनपीके **12-32-16**, एनपीके **10-26-26** और एनपीके **20-20-0-13** का औसत एमआरपी (रु. प्रति **50** किग्रा बोरी) निम्नानुसार हैं:

उत्पाद का नाम	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
10-26-26	1228.78	1487.56	1488.04	1469.75	1530.22
12-32-16	1232.16	1436.66	1578.30	1493.26	1498.89
20-20-0-13	997.51	1232.63	1403.21	1263.78	1283.31
डीएपी	1250.00	1250.00	1350.00	1350.00	1350.00
एमओपी	893.63	1166.92	1707.17	1699.39	1557.56
एसएसपी-पाउडर	401.60	364.73	501.74	531.39	506.95